

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 43/2022

GCMS Case No. 2022/163

सायल :-

बनाम

गैरसायल:-

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक  
पाली

बुधाराम पुत्र श्री रखाराम जाति कीर निवासी  
नाणा पुलिस थाना नाणा जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :

सायल की ओर से अभियोजक अधिकारी पाली


:: निर्णय ::

दिनांक :- 01/11/2022

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 25.07.2022 को गैरसायल बुधाराम पुत्र श्री रखाराम जाति कीर निवासी नाणा पुलिस थाना नाणा जिला पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5)के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना नाणा जिला पाली क्षेत्र का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2016 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, सभी प्रकरण जुआ एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। गैर सायल जुआ खेलने का आदी है तथा दुसरो को भी जुआ खेलने के लिए प्रेरित करता है। आमजन गैर सायल के खिलाफ पुलिस मे शिकायत करने से कतराते है। गैर सायल किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार होने के उपरान्त न्यायालय से जमानत पर छुटने पर यह अपराध करना एवं अन्य लोगों को भी अपराध करने के लिए प्रेरित करता है गैर सायल के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	पुलिस थाना	मु0न0/दिनांक	धारा	कोर्ट का नाम	नतीजा अदालत
1	नाना	171/05.11.2016	13 आरपीजीओ	जे.एम कोर्ट बाली	दिनांक 14.12.2016 को धारा 3 पी.ओ एक्ट के तहत पांबद व 400 रुपये का जुर्माना
2	नाना	174/11.11.2016	13 आरपीजीओ	जे.एम कोर्ट बाली	दिनांक 21.12.2016 को धारा 3 पी.ओ एक्ट के तहत पांबद व 400 रुपये का जुर्माना
3	नाना	86/13.06.2017	13 आरपीजीओ	जे.एम कोर्ट बाली	दिनांक 08.09.2017 को धारा 3 पी.ओ एक्ट के तहत पांबद व जुर्माना
4	नाना	41/23.03.2019	13 आरपीजीओ	जे.एम कोर्ट बाली	दिनांक 05.04.2019 को धारा 3 पी.ओ एक्ट के तहत पांबद व जुर्माना
5	नाना	188/29.10.2021	323,452,427/34, 509 भादस	जे.एम कोर्ट बाली	नतीजा न्यायालय में पेश करना शेष है

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित होती है कि गैरसायल बुधाराम पुत्र श्री रखाराम जाति कीर निवासी नाणा पुलिस थाना नाणा जिला पाली जुएँ के धन्धे में लिप्त है, एवं आलेदर्जे का बदमाश एवं जुआरी है जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृत्ति में लिप्त है। जिसके आदतन अपराधी होने से आम जनता में

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

भय व्याप्त है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस्तागासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।


ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना नाना तहसील बाली जिला पाली का आदतन जुआरी है, जिसके विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट बाली के प्रकरण संख्या 777/2016 में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2016 को आदेश पारित करते हुए 13 आरपीजीओ अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित करते धारा 03 पी.ओ एक्ट के तहत पांबध एवं 400/- रुपये का जुर्माना से दण्डित किया गया इसी प्रकार माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट बाली ने दिनांक 29.08.2019 को आदेश पारित करते हुए 13 आरपीजीओ अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 400/- रुपये का जुर्माना से दण्डित किया गया सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तागासा एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5)के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल बुधाराम पुत्र श्री खाराम जाति कीर निवासी नाणा पुलिस थाना नाणा जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत 03 माह की अवधि के लिए पुलिस थाना नाना जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात् दिनांक 16/11/2022 से 90 दिन के लिये पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही में सप्ताह में एक बार अर्थात् 90 दिन में 12 बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी पिण्डवाडा जिला सिरोही गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल बुधाराम इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10




हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना नाना जिला पाली, गैरसायल बुधाराम को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पिण्डवाडा जिला सिरोही उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी नाना जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना नाना जिला पाली एवं थानाधिकारी पिण्डवाडा जिला सिरोही को भिजवाई जावे।

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 01/11/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

